Rajasthan Police	कार्यालय पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व	जोधपुर
@dcpeastjodhpur	।। प्रेस नोट ।।	Dcp Jodhpur East

दिनांकः– 27.02.2023

- तृतीय श्रेणी प्रथम लेवल परीक्षा का पेपर आउट करने का प्रयास करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उनके विरूद्व धोखाधड़ी व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
- मुख्य 3 आरोपियों को पेपर हल करवाते हुए व 32 अन्यों को दस्तयाब किया गया था, जिनमें से 3 मुख्य आरोपियों का पी.सी. रिमाण्ड लिया व शेष अन्य आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया
- वास्तविक प्रश्नपत्र से मिलान करने पर आरोपियों के पास मिला पेपर फर्जी पाया गया

वारदात –

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम की परीक्षा का आयोजन दिनांक 25.02.2023 को सुबह की पारी में आयोजित किया जा रहा था। सीआईडी (इन्टेलिजेन्स) के अधिकारियों द्वारा संकलित आसूचना के आधार पर जोधपुर शहर में नकल गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिलने पर श्रीमान् पुलिस आयुक्त के निर्देषानुसार श्री देवीचंद ढाका थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर, श्री सीताराम खोजा थानाधिकारी पुलिस थाना बनाड़ मय जाब्ता व डी.एस. टी. जोधपुर पश्चिम की टीमें गठित की जाकर संकलित सूचना के आधार पर पुलिस थाना बनाड़ एरिया में जोधपुर से जयपुर जाने वाली रोड़ पर स्थित उदयगढ मेरिज गार्डन में कमरों में दबिश देकर 7 संदिग्धों द्वारा 30 अभ्यर्थियों को दिनांक 25.02.2023 आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम की परीक्षा का पेपर हल करवाते हुए दस्तयाब किया।

कार्यवाही पुलिस–

पुलिस की टीमों द्वारा उदयगढ मेरिज पैलेस पर दबिश देने पर 3 संदिग्ध मुलजिमों के मोबाइल पर जो पेपर आए थे उनके द्वारा परीक्षार्थियों को यह पेपर नोट कराया जा रहा था। उक्त प्रश्नों का वास्तविक प्रश्नपत्र से मिलान करने पर किसी भी प्रश्न का मिलान होना नहीं पाया गया। घटनास्थल से 1 लेपटॉप मय प्रिन्टर व संदिग्धों के मोबाईल फोन जब्त किये गये।

श्री देवीचंद नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 74 दिनांक 25.02.2023 अन्तर्गत धारा 420,120बी भां.दं.सं. व 10(2) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 पुलिस थाना बनाड़ में पंजीबद्व कर अनुसंधान किया जा रहा है। जिनमें से मुख्य 3 आरोपियो (1. सुरेश थोरी पुत्र धन्नाराम निवासी थोरियो की ढाणी रायमलवाडा, जोधपुर ग्रामीण, 2. मुकेश जोशी पुत्र प्रकाश जोशी निवासी दयाकौर जोधपुर ग्रामीण एवं 3. श्यामसुन्दर पुत्र सकताराम निवासी सोऊ की ढाणीं पीपलिया खींवसर जिला नागौर) का

पी.सी. रिमाण्ड लिया व शेष अन्य आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। मुख्य तीनों आरोपियो से इतला व रूट तस्दीक कर घटना में उपयोग लिये गये लेपटॉप व मोबाईलों का विश्लेषण किया गया।

मुख्य अभियुक्त प्रवीण पुत्र जगदीश निवासी गोयतो की ढाणी हेमागुढ.ा पुलिस थाना झाब जालोर के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। परन्तु काफी प्रयासों के बाद भी दस्तयाब नहीं होने पर 5000/- का ईमान घोषित कर पकड़ने के प्रयास जारी है।

उक्त प्रश्नों का वास्तविक प्रश्नपत्र से विशेषज्ञो की सहायता से मिलान करने पर किसी भी प्रश्न का मिलान होना नहीं पाया गया।

पुलिस उपायुक्त
जोधपुर पूर्व